निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 37 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **सहायक गन्ना आयुक्त, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक गन्ना आयुक्त, देहरादून के माह 08/2014से 07/2018तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर०एन०यादव, श्री राजेश डोभाल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री हरिओम,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 15/08/2018 से 21/08/2018 तक श्री सी.एस.बोहरा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राघवेन्द्र सिंह एवं श्रीसुनील दत्त,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियो द्वारा श्री आर०एस०नेगी-II वरि०लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 11.08.2014से 14.08.2014तक में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2009से 07/ 2014तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2014 से 07/2018तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** जनपद देहरादून के अंतर्गत गन्ना विकास का कार्य ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं।

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (+) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	-	-	97.31	97.31	30.32	27.90	-	2.42
2015-16	-	-	117.71	117.71	30.82	22.65	-	8.16
2016-17	-	-	143.52	143.52	18.04	12.04	-	6.00
2017-18	-	-	145.89	145.89	19.43	19.43	-	-

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	आधिक्य `	बचत `
2014-15	RKVY	7.12	4.00	8.69	-	2.42
	NFSM	0.00	2.32	2.32	-	-
2015-16	RKVY	2.42	3.64	5.56	-	0.50
	NFSM	-	4.24	4.24	-	-
	आतमा	-	0.54	0.54	-	-
2016-17	RKVY	0.50	0.00	0.50	-	-
	NFSM	-	1.67	1.67	-	-
	आतमा	-	0.72	0.72	-	0.00
2017-18	RKVY	-	0.00	0.00	-	-
	NFSM	-	2.50	2.50	-	-
	आतमा	-	0.98	0.98	-	-

(ii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'सी'** श्रेणी की है।विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

गन्ना एवं चीनी का विभागीय ढांचा

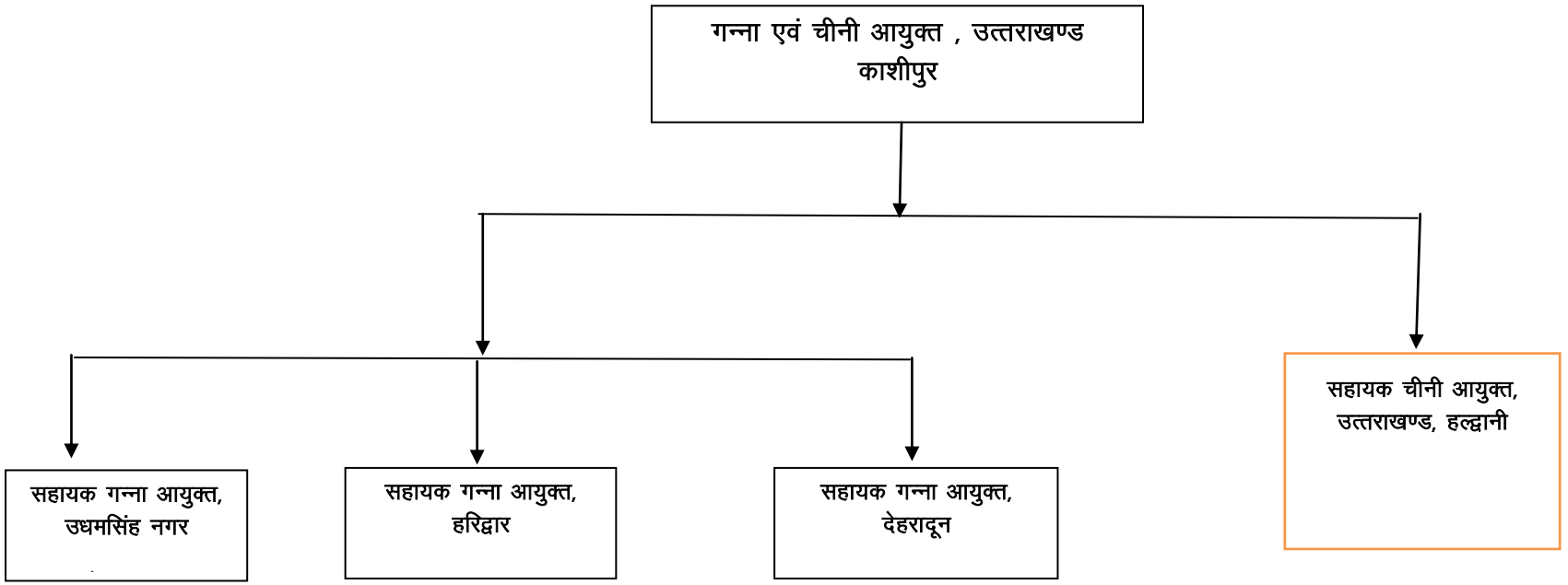

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय सहायक गन्ना आयुक्त, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियोके निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक गन्ना आयुक्त, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं 05/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2(ब)

प्रस्तर:-1 केन्द्रीय पुरोनिर्धारित योजना की धनराशि `1,85,384.00 को राज्य सरकार के विभागीय प्राप्तियों के लेखा शीर्ष मे जमा करने तथा विगत चार वर्षों से निष्क्रिय पड़े पी0एल0ए0 खाते को बंद न किए जाना।

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या-121/XXVII(14)/2013 दिनांक-12 जुलाई 2013 के पैरा (घ) के अनुसार वित्तीय नियम संग्रह खंड-5 भाग-1 के प्रस्तर-340 बी का अनुपालन किया जायेगा यदि संहत निधि से सृजित पी0एल0ए0 खाते वित्तीय वर्ष के अंत मे बंद किया जाय तथा पी0एल0ए0 खाते जिसमे पिछले तीन वर्षों से लेन देन नही हुआ हो उन्हे महालेखाकार के परामर्श से बंद कर दिया जाए।

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या-1526(1)/ एक्सआईवी-2/2012 दिनांक-02.01.2013 के द्वारा गन्ना एवं चीनी आयुक्त,उत्तराखंड, काशीपुर के अधीन तीन सहायक गन्ना आयुक्तों ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, एवं देहरादून हेतु पी0एल0ए0 खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी जिसका प्राधिकार पत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले0&हक0) उत्तराखंड, देहरादून द्वारा दिनांक-19.06.2013 को व्यैक्तिक लेखा खाता (पी0एल0ए0) के शीर्षक 8443 सिविल डिपॉजिट 106 व्यक्तिगत खोले जाने का प्रदान किया गया था।

सहायक गन्ना आयुक्त, देहरादून अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि पी0एल0ए0 खाते का संचालन केन्द्रीय अनुदानों एवं जिला योजना की प्राप्त राशियों का लेन देन किया जाता था। दिनांक-29.03.2014 तक अंतिम अवशेष धनराशि `7,43,512.00 की समस्त धनराशि को इकाई द्वारा चालान से मुख्य कोषाधिकारी देहरादून मे प्रदेश के विभागीय प्राप्तियों के मद संख्या 0401-00-108/102-00-00 मे जमा कर दिया गया था जबकि अवशेष राशियों मे से `1,85,384.00 मैक्रो मैनेजमेंट केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना से संबन्धित था। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि माह मार्च 2014 के उपरांत पी0एल0ए0 खाते से कोई भी लेन देन इकाई द्वारा नही किया गया और न ही पी0एल0ए0 खाते को बंद करने के कोई कार्यवाही अभी तक की गयी हैं।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि पी0एल0ए0 खाते को बंद करने की कार्यवाही आरम्भ की जाएगी एवं तत्कालीन सहायक गन्ना आयुक्त के आदेशों से केंद्र पोषित योजना की अवशेष धनराशि को भी राज्य सरकार के विभागीय प्राप्तियों मे जमा किया गया।

अत: केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना की धनराशि `1,85,384.00 को राज्य सरकार के विभागीय प्राप्तियों के लेखा शीर्ष मे जमा करने तथा विगत चार वर्षों से निष्क्रिय पड़े पी0एल0ए0 खाते को बंद न किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-2(ब)

प्रस्तर:-2 चीनी मिलों द्वारा गन्ना विकास कमीशन के रूप मे `104.26 लाख धनराशि का भुगतान नही किया जाना।

उत्तर प्रदेश के UP Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act 1954 को उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य के पुनर्गठन के बाद राज्य मे लागू किया गया।

उक्त एक्ट के पैरा 49 के अनुसार गन्ने को खरीदने वाली फ़ैक्टरी से भारत सरकार द्वारा न्यूनतम गन्ना मूल्य की धनराशि का 3% कमीशन सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों को दिया जाने का प्राविधान किया गया। जिसका 75% सहकारी गन्ना विकास समितियों को एवं 25% गन्ना विकास परिषदों को दिया जाना हैं। फ़ैक्टरी (मिल) द्वारा दिये गए उक्त 3% कमीशन से ही सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों अपने कर्मचारियो/अधिकारियों के वेतन भत्ते एवं क्षेत्र के विकास के कार्य किए जाने थे।

एक्ट के अनुसार सहकारी गन्ना विकास समितियों के मुख्य कार्य निम्न हैं।

1. गन्ने की उपज मे वृद्धि हेतु केंद्र/ राज्य सरकार एवं उच्च स्तर से बनाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन कराना।
2. सदस्यों के गन्ने की उपज का लाभ जनक मूल्य पर क्रय/विक्रय कराना तथा शीघ्र चीनी मिल को पूर्ति कराने का प्रबंध करना एवं उसका मूल्य भुगतान सुनिश्चित करना।
3. गन्ने के उत्तम बीज, खाद तथा उर्वरक, कीटनाशक रसायन कृषि यंत्र आदि कृषि निवेशों को सदस्यों को ऋण मे उपलब्ध कराना।

इसी प्रकार गन्ना विकास परिषदों के मुख्य कार्य निम्न हैं-

1. गन्ना परिषद क्षेत्र के गन्ना विकास कार्यक्रम तय करना।
2. गन्ना बीज, प्रजाति, गन्ना बुवाई कार्यक्रम, खाद, उर्वरक एवं कृषि निवेशों का प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
3. सिंचाई एवं कृषि सुविधाओं को सुनिश्चित कराना।

सहायक गन्ना आयुक्त, देहरादून के प्रस्तुत अभिलेखों मे यह पाया गया हैं कि चीनी मिल डोईवाला द्वारा कार्यालय के अधीन आने वाली 02 समितियों एवं 01 परिषद को दिनांक-24.07.2018 तक गन्ना विकास कमीशन के रूप मे `104.26 लाख धनराशि का भुगतान किया जाना अवशेष हैं।

इस संबंध मे कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि चीनी मिलों की आर्थिक मजबूरी के कारण भुगतान नही किया गया एवं जिस कारण कर्मचारियों के एरिअर/ ग्रेचुटी का भुगतान नही हो पा

रहा हैं। एवं विकास कार्यों पर भी कुप्रभाव पड रहा हैं। कार्यालय का उत्तर स्वत: ही लेखा परीक्षा की आपति की पुष्टि करता हैं।

अत: चीनी मिलों द्वारा गन्ना विकास कमीशन के रूप मे `104.26 लाख धनराशि का भुगतान नही किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर :–3 वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व कोषागार से धनराशि रू0 54503.00 को आहरण कर अनियमित रूप से बचत खाते में अवरूद्ध रखना।

कार्यालय सहायक गन्ना आयुक्त, देहरादून की रोकड़ बही तथा सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कोषागार से कुछ बिलों का भुगतान सीधे नही किया गया था अपितु अनियमित रूप से कोषागार से धनराशि आहरित कर कार्यालय के अन्तर्गत रख रखाव किये जा रहे DIST CANE DEVELOPMENT OFFICER के नाम से **पंजाब नेशनल बैंक सेविंग अकाउंट** No. 1843010100000163 में धनराशि को रखा जा रहा था, बाद में उक्त बचत खाते के माध्यम से बिल का भुगतान किया जा रहा था। इस प्रक्रिया में कई बार सरकारी खजाने/कोषागार से धनराशि को आहरित कर लम्बे समय तक उक्त बचत खाते में अवरूद्ध रखा गया।

आगे रोकड़ बही, B.M.-5, बचत पासबुक तथा सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया **कि** माह 03/2015 में बिल नं0 072, 073, 074, 075, 077 तथा 076 के माध्यम से कोषागार से बैंकर्स चेक के माध्यम से वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व दिनांक 21.03.2015 को धनराशि क्रमशः रू0 31808.00, 5606.00, 10592.00, 2070.00, 1727.00 एवं 2700.00 आहरित कर **पंजाब नेशनल बैंक सेविंग अकाउंट** No. 1843010100000163 में जमा किया गया। उक्त धनराशि में से रू0 2700.00 डाक टिकट हेतु दिनांक 08.04.2015 को व्यय किया गया जबकि उक्त अन्य धनराशि रू0 51803.00 [31808.00+5606.00+10592.00+2070.00+1727.00] को बचत खाते में ही अवरूद्ध रखा गया तथा दिनांक 29.10.2015 को अध्यक्ष जिला गन्ना सेवा प्राधि0 देहरादून को भुगतान करते हुये व्यय किया गया। इस प्रकार सरकारी खजाने/कोषागार से वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व धनराशि रू0 54503.00 को आहरित कर बचत खाते में जमा करते हुये अवरूद्ध रखा गया जो अनियमित था।

उक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि वर्तमान में वर्ष 2018–19 में कोषागार से सीधे बिलों का भुगतान प्रारम्भ किया जा चुका है। इकाई के

उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि विगत वर्षो मे सरकारी खजाने/कोषागार से धनराशि को आहरित कर बचत खाते में जमा करते हुये अवरूद्ध रखा जा रहा था जो अनियमित था।

अतः शासन से बजट प्राविधान के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व कोषागार से धनराशि को आहरण कर अनियमित रूप से बचत खाते में धनराशि रू0 54503.00 अवरूद्ध रखने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग– III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम सं0	निरीक्षणप्रतिवेदन संख्या	भाग– II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग– II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
1. 2.	04/2009-10/268 26/2014-15	1, 2 ---	1 1	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या इकाई द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी।

भाग– IV

इकाई के सर्वोत्तमकार्य

––– शून्य –––

भाग–V

आभार

1.कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु सहायक गन्ना आयुक्त, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये :

(i)विगतनिरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या

(II) **श्रीमती हिमानी पाठक, सहायक गन्ना आयुक्त की सेवा-पुस्तिका**

2. सतत् अनियमितताएं :

(i)शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**
(1)	श्री हरिमोहन उपाध्याय	सहायक गन्ना आयुक्त (11.03.2013 से 30.11.2017 तक)
(2)	श्री शैलेन्द्र सिंह	सहायक गन्ना आयुक्त (01.12.2017 से 12.04.2018 तक)
(3)	श्रीमती हिमानी पाठक	सहायक गन्ना आयुक्त (13.04.2018 से अबतक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति सहायक गन्ना आयुक्त, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ आर्थिक क्षेत्र–।।, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)–उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र–।।